रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23072021-228432
CG-DL-W-23072021-228432

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, जुलाई 11 जुलाई 17, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 20- आषाढ़ 26, 1943
No. 23] NEW DELHI, JULY 11 - JULY 17, 2021, SATURDAY/ ASHADHA 20 - ASHADHA 26, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

---

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

**सा.का.नि. 69.—**केंद्रीय सरकार नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिक सुरक्षा विनियम का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

(1) इन विनियम का संक्षिप्त नाम नागरिक सुरक्षा (संशोधन) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968 में विनियम 3 में, उप-विनियम (1) के खंड (क) के स्थान पर; निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(क) वह भारत का नागरिक या भूटान या नेपाल का प्रजाजन होगा;";

[फा.सं.II-29011/1/2021-Ad (CD)]

संजीव कुमार जिंदल, संयुक्त सचिव

**नोट:-** मूल अधिसूचना संख्या 10/2/66-डीजीसीडी (II)(i) तारीख 10 जुलाई, 1968, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में, सा. का. नि 1278 दिनांक 10 जुलाई, 1968 द्वारा प्रकाशित की गई थी जो अधिसूचना संख्या 10/2/75-डीजीसीडी (सीडी) दिनांक 8 सितंबर 1975, भारत के राजपत्र में भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में, सा. आ. 480 (अ) दिनांक 8 सितंबर 1975 के तहत प्रकाशित; के साथ पठित, जो अधिसूचना संख्या 10/5/71-डीजीसीडी (सीडी) दिनांक 30 मार्च, 1973, भारत के राजपत्र में भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में सा. का. नि 382 दिनांक 14 अप्रैल, 1973 के द्वारा संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th July, 2021

**G.S.R. 69.**—In exercise of the powers conferred by section 9 of Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Civil Defence Regulations, 1968, namely:

1. Short title and commencement.-

(1) These regulations may be called the Civil Defence (Amendment) Regulations, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Civil Defence Regulations, 1968, in regulation 3, on sub-regulation (1) for clause (a); the following shall be substituted, namely:-

"(a) he shall be a citizen of India, or a subject of Bhutan or of Nepal;" ;

[No.II-29011/1/2021-Ad(CD)]

SANJEEV KUMAR JINDAL, Jt. Secy.

**Note: -** The principal notification No.10/2/66-DGCD(ii) (I) dated the 10th July, 1968 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1278 dated the 10th July,1968 amended by Notification No.10/5/71-DGCD(CD) dated 30 March, 1973 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 382, dated the 14th April, 1973 and read with Notification No. 10/2/75-DGCD(CD) dated 8th September, 1975 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O.480(E) dated the 08.09.1975.

---

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

**सा.का.नि. 70.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहाँ तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक / कनिष्ठ तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-I और श्रेणी-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-